सेवा में,

श्रीमान थाना प्रभारी,

पुलिस थाना सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)

विषय: बिना वैध अनुमति एवं बिना अधिकृत Animal Birth Control (ABC) Centre/टेंडर के आवारा कुत्तों को लोहे के टोंग से पकड़ने, पशुओं के साथ क्रूरता करने, अवैध रूप से कुत्तों को पकड़कर धन लेने तथा विधि विरुद्ध कार्यवाही किए जाने संबंधी एफआईआर दर्ज करने हेतु शिकायत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि सैलाना क्षेत्र में श्री संदीप दुलगंज (मोबाइल: 9131689583) एवं उनके साथियों द्वारा बिना किसी वैध शासकीय अनुमति, बिना नगर परिषद/स्थानीय निकाय द्वारा जारी किसी टेंडर अथवा वर्क ऑर्डर तथा बिना किसी अधिकृत Animal Birth Control (ABC) Centre के आवारा कुत्तों को लोहे के टोंग (Dog Catching Tong) से पकड़कर ले जाया जा रहा है।

उक्त व्यक्ति आम नागरिकों को यह कहकर गुमराह कर रहा है कि कुत्तों को नसबंदी (Sterilization) हेतु ले जाया जा रहा है, जबकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनके पास इस कार्य के लिए कोई वैध प्राधिकरण, अधिकृत ABC Centre अथवा नगर निकाय द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं है। यदि इनके पास कोई वैध अनुमति होने का दावा है, तो उसकी जांच कर सत्यता सुनिश्चित की जाए।

हमारे पास उपलब्ध वीडियो में स्पष्ट रूप से कुत्तों को लोहे के टोंग से पकड़ते हुए देखा जा सकता है। इस प्रकार कुत्तों को पकड़ना उन्हें अनावश्यक पीड़ा, भय एवं गंभीर चोट पहुँचाने वाला कृत्य है, जो Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11 की भावना के प्रतिकूल है तथा Animal Birth Control Rules, 2023 में निर्धारित मानकों के भी विपरीत है।

इसके अतिरिक्त, हमारे पास ₹1,000 के UPI भुगतान का स्क्रीनशॉट उपलब्ध है। यह भुगतान कुत्तों को छोड़ने के संबंध में किया गया बताया गया है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध वसूली एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई की जाए।

अतः आपसे निवेदन है कि—

1. श्री संदीप दुलगंज (मो. 9131689583) एवं उनके साथियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर निष्पक्ष जांच प्रारंभ की जाए।
2. इनके पास उपलब्ध टेंडर, वर्क ऑर्डर, स्थानीय निकाय की अनुमति, ABC Centre की मान्यता एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

3. वीडियो, UPI भुगतान विवरण, मोबाइल फोन, बैंक खाते एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को विधि अनुसार जब्त कर उनकी जांच की जाए।
4. यदि यह पाया जाए कि बिना अधिकार कुत्तों को पकड़ा जा रहा था अथवा धन लेकर छोड़ा जा रहा था, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, Animal Birth Control Rules, 2023 तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
5. यदि किसी कुत्ते को अवैध रूप से कहीं रखा गया है, तो उसे तत्काल मुक्त कराकर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए तथा नियमों के अनुसार उसके मूल क्षेत्र में छोड़ा जाए।
6. जांच पूर्ण होने तक उक्त व्यक्तियों द्वारा कुत्तों को पकड़ने की समस्त गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

संलग्न साक्ष्यः

1. टोंग से कुत्तों को पकड़ने का वीडियो।
2. ₹1,000 के UPI भुगतान का स्क्रीनशॉट।
3. संबंधित व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नंबर।
4. अन्य उपलब्ध फोटो/वीडियो एवं गवाहों के विवरण (यदि आवश्यक हो)।

यह मामला केवल पशु क्रूरता का नहीं, बल्कि कानून द्वारा निर्धारित Animal Birth Control व्यवस्था को दरकिनार कर निजी स्तर पर कुत्तों को पकड़ने और कथित रूप से धन लेकर छोड़ने जैसे गंभीर विषयों से संबंधित है। अतः जनहित, विधि-व्यवस्था एवं पशु कल्याण के हित में इस शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई करने की कृपा करें।

भवदीय,

(नाम) :- Pawfhies Animal Rescue Foundation
(पता) :- 27/B Adarsh Nagar Ratlam (M.P.)
(मोबाइल नंबर) 7470389703 , 9827272714
(दिनांक) : 26/07/2026

प्रतिलिपिः

- पुलिस अधीक्षक, रतलाम
- कलेक्टर, रतलाम
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद सैलाना
- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, रतलाम

Scanned with OKEN Scanner

Transaction Successful

10:21 PM on 25 Jul 2026

Paid to

KD Kiran Dulganj ₹1,000

XXXXXX1098@ybl

Banking Na... : Kiran Dulganj

Transfer Details

PhonePe Transaction ID

T2607252221332144557947

Debited from

XXXXXX9482 ₹1,000

UTR: 312692904867

Powered by

UPI YES BANK

Scanned with OKEN Scanner

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Central Registration Centre

Certificate of Incorporation

[Pursuant to sub-section (2) of section 7 and sub-section (1) of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rule 18 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

I hereby certify that PAWFHIES ANIMAL RESCUE FOUNDATION is incorporated on this TWENTY FOURTH day of MARCH TWO THOUSAND TWENTY FIVE under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and that the company is Company limited by shares

The Corporate Identity Number of the company is **U88900MP2025NPL075653**

The Permanent Account Number (PAN) of the company is **AAPCP5804K***

The Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) of the company is **BPLP11983G***

Given under my hand at Manesar this TWENTY FOURTH day of MARCH TWO THOUSAND TWENTY FIVE

Signature Not Verified
Digitally signed by
DS MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS , CRC MANESAR 2
Date: 2025.03.24 11:06:27 IST

Balagangatharan Ramesh

Assistant Registrar of Companies/ Deputy Registrar of Companies/ Registrar of Companies

For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies

Registrar of Companies

Central Registration Centre

Disclaimer: This certificate only evidences incorporation of the company on the basis of documents and declarations of the applicant(s). This certificate is neither a license nor permission to conduct business or solicit deposits or funds from public. Permission of sector regulator is necessary wherever required. Registration status and other details of the company can be verified on mca.gov.in

---

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

PAWFHIES ANIMAL RESCUE FOUNDATION

27- A Adarsh Nagar Gali 3, near Shakti Nagar, Ratlam, Ratlam, Ratlam- 457001, Madhya Pradesh

*as issued by Income tax Department

Scanned with OKEN Scanner